

~~999~~
~~22/12/15~~

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मुसप्र / 2015 / 999

दिनांक: 22-12-15

आदेश

चौपारानी आवासीय योजना जोधपुर में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणी के 4 रकांत्र आवारा जो पूर्व में मण्डल कर्मचारियों को रेन्टल योजनानार्थी आवंटित किये गये थे, को अतिरिक्त मुख्य अग्रिमता-द्वितीय एवं मध्य अग्रिमता-द्वितीय के प्रतावानुसार नीलामी के गान्धम से नियमानुसार निरतारण करने की रवीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रताप की जारी है, निरतारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	ग्राहन सं.	श्रेणी
1	17/442 B	MIG-B
2	17E/658	MIG-B
3	17E/63	HIG
4	17E/774	HIG

अतिरिक्त मुख्य अग्रिमता-द्वितीय एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय जोधपुर नीलामी से निरतारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त आवारों के आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवारों के आलावा रकीम में कोई अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवारों का निरतारण प्रबार प्रसार के गान्धम से किया जावें। नीलामी में आवासों का निरतारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतः सुनिश्चित कर लें। नीलामी हेतु दर्शाए गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवासों का निरतारण नियमानुसार किया गया है।

उक्त आदेश माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष गहोदय द्वारा पैरा संख्या 17-18/ए पर अनुगोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ —

- निजी सविव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अग्रिमता (पु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अग्रिमता-प्रथम/द्वितीय/सविव/वितीय रालाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अग्रिमता-द्वितीय, रा03A0ग0, ~~जोधपुर~~ 1
- अरिठि निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा03A0ग0 जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत्त—द्वितीय, रा03A0ग0 जोधपुर।
- आवासीय अभियन्ता खण्ड—प्रथम, रा03A0ग0 जोधपुर।
- सायुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व रामी को गेल करें।
- साधायक निदेशक, जगसम्पर्क अधिकारी, रा03A0ग0 जयपुर।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (पु0), रा03A0ग0, जयपुर।
- रशित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक